

18.09.17

आरोपी मोतीराम सहित अधि. श्री के.पी.राठौर उपस्थित।

उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रकरण आज सुनवाई में लिए जाने हेतु पेश किया। विचार उपरांत आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

आरोपी की ओर से अर्थदण्ड की राशि 9000 रुपए जमा की गयी जो रशीद क्रमांक 64 पर जमा कर उसे रशीद दी गयी। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रकरण का परिणाम अंकित पंजी कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद